



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21265

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

### लखनऊ

**आवेदन, अं/धा 528 भा.ना.सु.सं., सं. 1071 वर्ष 2026**

अनवर उर्फ अनवर खान

..... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अनुराग एस कालेश, जे. के. राठौर

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

: शा. अ.

न्यायालय सं. - 16

**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक मिश्रा द्वारा दाखिल वकालतनामा

अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ., और विरोधी पक्षकार

सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री विवेक मिश्रा को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से, आवेदक ने दांडिक वाद सं. 13238/2025 (राज्य बनाम दिलावर खान एवं अन्य) के संबंध में अ.मु.न्या.म.-I, गोंडा द्वारा पारित कारण-रहित संज्ञान आदेश और समन दिनांक 01.04.2025, और भा.न्या.सं., 2023 की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 119(1), 333, के अधीन वाद अपराध सं. 261/2024, पुलिस थाना-धनेपुर, गोंडा से उत्पन्न आरोप-पत्र दिनांक 01.12.2024 को, समझौता दिनांक 21.01.2026 के प्रकाश में, निरस्त करने की प्रार्थना की है।

4. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कुछ गलतफहमी के कारण, आवेदकगण के विरुद्ध यह प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी, और उसके बाद पक्षकार एक-साथ बैठे थे और अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया था, जिसे 21.01.2026 को लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा है कि इसके पश्चात्, आवेदकगण ने विचारण न्यायालय को समझौता-विलेख के सत्यापन के निदेश के लिए प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया था, और आदेश दिनांक 02.02.2026 के अनुपालन में, सत्यापन किया गया था और रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। वह निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत मामले में अग्रेतर दांडिक कार्यवाही उत्पीड़न के बराबर होगा, और इस प्रकार आक्षेपित दांडिक कार्यवाही निरस्त की जाए।

5. विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता ने भी आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है, और निवेदन करते हैं कि पक्षकारों ने अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ढंग से समाधान कर लिया है और विरोधी पक्षकार सं. 2 का कोई परिवाद नहीं है, इसलिए, आवेदकगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

6. राज्य के विद्वान् अधिवक्ता को उपर्युक्त निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के उपर्युक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच 21.01.2026 को एक समझौता किया गया है, और उक्त समझौते का 13.02.2026 को सत्यापन किया गया है, और अब, पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे उपर्युक्त दांडिक मामले में अग्रतर बल नहीं देना चाहते हैं।

8. उपर्युक्त की दृष्टि से, क्योंकि आवेदकगण और विरोधी पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है और अब कोई परिवाद किया जाना शेष नहीं रह गया है, और इस प्रकार, उपर्युक्त उल्लिखित दांडिक वाद में अग्रतर दांडिक कार्यवाहियां, बी. एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य (2003) 4 एस सी सी 675; निखिल मर्चेंट बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2008) 9 एस सी सी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य (2008) 16 एस सी सी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस सी सी 303; और नरीन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस सी सी 466, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि से अपास्त की जाने योग्य हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. तदनुसार, दांडिक वाद सं. 13238/2025 (राज्य बनाम दिलावर खान एवं अन्य) के संबंध में, अ.मु.न्या.म.-I, गोंडा द्वारा पारित कारण-रहित संज्ञान आदेश और समन के संबंध में दांडिक कार्यवाहियों, और भा.न्या.सं., 2023 की धारा-191(2), 115(2), 352, 351(3), 119(1), 333 के अधीन वाद अपराध सं. 261/2024, पुलिस थाना- धनेपुर, गोंडा से उत्पन्न आरोप-पत्र दिनांक 01.12.2024 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

10. समझौता इस आदेश का भाग होगा।

11. तदनुसार, आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

12. अभिलेख में सम्मिलित किया जाए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

मार्च 24, 2026

वी. सिन्हा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”